



**दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र
प्रस्तावित भू-उपयोग
महायोजना 2031**



संकेतिका

(1) आवासीय (R)	(8) परिवहन (T)
निम्न श्रेणी	राष्ट्रीय राजमार्ग
अंतराधीय क्षेत्र	प्रमुख जलपथीय मार्ग
शिथिल	अन्य जलपथीय मार्ग
(2) व्यावसायिक (C)	प्रामाण्य मार्ग
व्यवसायिक	रेलवे लाईन
(3) औद्योगिक (M)	
औद्योगिक	
(4) सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक (PSP)	
सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक	अन्य
(5) मनोरंजन (P)	दूनघाटी विशेष क्षेत्र सीमा
मनोरंजन	शहरी वेदरबन्द विकास क्षेत्र
(6) कृषि (A)	उपनिहार विशेष क्षेत्र
कृषि	दूनघाटी सेक्टर क्षेत्र
(7) विशेष क्षेत्र (S)	बाघी/नाले
पत्तन / सुधारक	अल्पसाक्षिक क्षेत्र
चाय बागान	बाघी/नाले
वन	

- मूल सिद्धान्त**
- महायोजना एक Broad Landuse Document है।
 - किसी जगह होने के कारण महायोजना में प्रमुख भू-उपयोगों को ही अलग दिखे जाते हैं। महायोजना के प्रमुख भू-उपयोगों की अतिरिक्त detailing जिनसे बरत के भू-उपयोग के प्रस्ताव जमान प्लान में दिखे जाते हैं।
 - पुनर्निर्धारित भू-उपयोग के प्रस्ताव नीति पर आधारित है।
 - अतिरिक्त भू-उपयोग जमा सखर मानचित्र पर आधारित नहीं है।
 - दूनघाटी महायोजना-2031 में वर्णित भू-उपयोगों को सुदृढीकरण/एडिड/माइक्रो-एडिड/माइक्रो-एडिड के अनुसार प्रमुख भू-उपयोग क्षेत्रों को अलग-अलग रखा गया है।
 - समावेशित महायोजना GIS आधारित मानचित्र पर व्यावस्थित व्यवस्था देकर किये गये हैं।
 - महायोजना-2031 मानचित्र एवं GIS आधारित आराखीय वेग पैर में मूल जमान होने के कारण विभिन्न भू-उपयोगों एवं परिवर्तन के अकार, स्पष्टीकरण एवं सीमा/मार्ग आदि के संशोधन में अन्तर होना स्वाभाविक है।
 - बुद्ध आकार के विभिन्न परिवर्तनों को GIS आधारित मानचित्र में प्रदर्शित अनुसार दर्शाते हुये सीमा में संशोधन किया गया है। छोटे आकार के विभिन्न परिवर्तन, विना सुस्पष्ट डॉकिमेंट महायोजना परर पर सम्मति नहीं है, जो मानचित्र में चिह्नित नहीं किया गया है।
 - नीचे पर इनकी वास्तविक स्थिति अनुसार परिवर्तन सीमा माने जायेंगे।
 - वन विभाग से प्राप्त आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त व आकार मानचित्र के मापक लक्षण एक समान होने के उपरिष्ठान वन सीमा को व्यावस्थित रखी जमाया गया है।
 - किसी भी प्रमुख भू-उपयोग क्षेत्रों में नीचे पर आरक्षित वन होने की स्थिति में सम्बन्धित स्थल को वन क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जायेगा। किसी भूमि से जमी वन क्षेत्र की सीमा अथवा vice versa की स्थिति होने पर इसे क्षेत्रों के एकरूप अन्तर्गत में आसककानुसार वन विभाग से उपरिष्ठान भू-उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
 - प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनके निर्धारित औसत महत्व, व्यापक मार्गों के नाम एवं प्रस्तावित मानचित्र के विवरण सहित महायोजना प्रोविदेन के परिशिष्ट में सुनिश्चित किया गया है।
 - महायोजना में प्रस्तावित मार्गों/एक्सेस-वे आदि के एकाइमेंट को व्यावस्थित व्यवस्था रखा गया है। परन्तु विमानन मार्गों को GIS आधारित अकार मानचित्र में प्रदर्शित विमानन मार्ग एकाइमेंट के अनुसार रखा गया है।
 - महायोजना प्रोविदेन में वर्णित नदी-नाले, डैमके किनारे की भूमि में नदी की ओर 10-10 मीटर सुरक्षापट्टा हटा छोड़ा जाना है, जो महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है।
 - इन प्राधिकरण को वास्तविक द्वारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
 - उपरोक्तानुसार किये गये संशोधन अन्तर्गत मानचित्र में यदि कोई त्रुटि पाई जाते हैं तो उसे डॉकिमेंट त्रुटि मानते हुये महायोजना में संशोधन समाप्त जायेगा।

दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
अधिसूचना संख्या- 1814 / V-2-2016-33(आ0) / 2010
देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित

80	अनुमान, मानचित्र आकार (अर्द्ध)	80	दून घाटी क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र
81	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध	81	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध
82	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध	82	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध
83	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध	83	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध
84	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध	84	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध
85	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध	85	नदी, नाला, बांध, डैम, बांध, बांध, बांध

80/-
आर० मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव, आवास